IJRAR.ORG E-ISSN: 2348-1269, P-ISSN: 2349-5138

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND ANALYTICAL REVIEWS (IJRAR) | IJRAR.ORG

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

ग्रामीण भारत में मनरेगा के अन्तर्गत रोजगार सृजन व भौतिक परिसम्पत्तियों के निर्माण का एक अध्ययन।

(अवधेश कुमार)
शोध छात्र, अर्थशास्त्र विभाग,
शहीद मंगल पाण्डेय राजकीय महिला
स्नातकोत्तर महाविद्यालय माधवपुरम, मेरठ।

(डॉ0 महेन्द्र त्रिपाठी)*
असिस्टेन्ट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र विभाग),
का0न0रा0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय
ज्ञानपुर, भदोही।

(सारांश)

ग्रामीण भारत के लोगों की सामाजिक सुरक्षा व आजीविका सुरक्षा करने हेतु एक वित्तीय वर्ष में स्वेच्छा से शारीरिक रूप से श्रम करने के इच्छुक व्यक्ति को न्यूनतम 100 दिनों की गारन्टी प्रदान करने वाला अधिनियम (महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम मनरेगा) संसद द्वारा सितम्बर 2005 में अधिनियमित हुआ और फरवरी 2006 से कुछ जिलों में तथा वर्ष 2008 से देश के सम्पूर्ण जिलों में लागू हुआ। इस अधिनियम ने अब तक देश और प्रदेश के करोड़ो लाभार्थियों को बुनियादी आय सुरक्षा प्रदान की है। व्यापक रूप से रोजगार सृजन के साथ ही मनरेगा से समाज के निम्न आय वर्गों–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है और वित्तीय समावेशन भी सशक्त हो रहा है। मनरेगा के अन्तर्गत जल संचयन, भू–जल पुर्नभरण, सूखा निवारण और बाढ़ सुरक्षा जैसे कार्यो को प्रमुखता दी गयी है जिससे प्राकृतिक संसाधनों का पुनः उत्थान सुनिश्चित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसम्पत्तियों के विकास से ग्राम पंचायतों में भविष्य हेतु आय–उत्पत्ति संसाधन निर्मित होते है। प्रस्तुत शोध प्रपत्र में मनरेगा के अन्तर्गत देश और प्रदेश (उ0प्र0) में हुए रोजगार सृजन व भौतिक सम्पत्तियों के निर्माण का एक संक्षिप्त विश्लेषण किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों का निर्माण तो हुआ है परन्तु अनेक कार्यो का समय से पूर्ण न होना, तकनीकी अकुशलता तथा वित्तीय अपर्याप्तता इसकी प्रमुख चुनौती भी है।

Keywords: मनरेगा, आजीविका सुरक्षा, भौतिक परिसम्पत्तियाँ, प्राकृतिक संसाधन।

भारत वर्ष में वर्ष 1993–94 और 1999–2000 के मध्य ग्रामीण बेरोजगारी में 0.58% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में उसी समय श्रम बल की वृद्धि दर इससे कहीं अधिक थी। स्पष्ट था कि इस परिस्थिति में एक ऐसे लाभदायक रोजगार के अवसर की आवश्यकता थी जो ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं को परिपूर्ण करते हुये वहॉ के घरेलू क्षेत्र के आय–उपभोग में सन्तुलन स्थापित कर सके। ऐसी परिस्थिति में तत्कालीन सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को न्यूनतम 100 दिनों के लिए काम की गारन्टी देने वाला एक अधिनियम 05 सितम्बर 2005 में अधिनियमित किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण

रोजगार गारन्टी अधिनियम के नाम से यह योजना 02 फरवरी 2006 को देश के 200 जिलों में प्रारम्भ हुई जिसे 01 अप्रैल 2008 से सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया गया। 02 अक्टूबर 2009 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (नरेगा) का नाम परिवर्तित कर महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) कर दिया गया।

मनरेगा योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करना था जिससे ग्रामीण क्षेत्र की क्रयशक्ति को बढ़ाया जा सके और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। इस योजना का दूसरा प्रमुख उद्देश्य था कि ग्रामीण गरीबों को समान अवसर देते हुए उनकी आर्थिक असमानता को कम किया जाय। मनरेगा योजना का तृतीय प्रमुख उद्देश्य था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जाय तथा वहॉ के बुनियादी ढॉचे को भी सशक्त किया जाय जिससे वहॉ के गरीबों को भी सुविधा जनक जीवन यापन का सुअवसर प्राप्त हो। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना एक महात्वाकांक्षी योजना है जिसमें व्यापक सार्वजनिक व्यय के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और वंचित परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करते हुये गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय व सामुदायिक परिसम्पत्तियों के सृजन की संकल्पना निहित थी।

मनरेगा योजना के प्रमुख उद्देश्य :–

- इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को मांग के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों के अकुशल कार्य की गारंटी प्रदान करना है जिससे निर्धारित गुणवक्ता और टिकाऊ उत्पादक परिसम्पत्तियों का सृजन हो सके।

- अत्यन्त कम आय वाले या गरीबी का सामना कर रहे लोगों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूत करना इस योजना का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है।

- मनरेगा कार्यक्रम क द्वारा सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित करते हुए पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय और मजबूत बनाना एक अन्य प्रमुख उद्देश्य है।

योजना का क्रियान्वयनः– महात्मा गॉधी ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के क्रियान्वयन की ईकाई 'ग्राम 'पंचायत' एवं लाभार्थी ईकाई 'परिवार' को बनाया गया है। गाँव का यह व्यक्ति जो अकुशल है और शारीरिक श्रम करने का इच्छुक है, अपने ग्राम पंचायत में रोजगार हेतु आवेदन करेगा तो ग्राम पंचायत 15 दिन के अन्दर उसे जॉब कार्ड बनाकर कार्य प्रदान करेगी। यदि ग्राम पंचायत स्तर से उस व्यक्ति को माँगे जाने के 15 दिन तक कार्य नही प्राप्त होता है तो इस अधिनियम के प्राविधान अनुसार उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा।

इस योजना में श्रम बजट (एल0बी0) एक महत्वपूर्ण वार्षिक कार्य योजना दस्तावेज होता है क्योकि इसमें नियोजन, वित्तपोषण और परियोजना निष्पादन के तरीके सम्मिलित होते है। महात्मा गॉधी मनरेगा अधिनियम की धारा 13 से 16 के प्रावधानों के अनुसार श्रम बजट तैयार किये जाते हैं। अतएव जिला कार्यक्रम समन्वयक को जनपद की प्रत्येक ग्रामसभा द्वारा चयनित परियोजनाओं की योजना बनाने से उसके अनुमोदन तक नीचे से उपर तक (Bottom up Approach) के दृष्टिकोण का पालन करना होता है। रोजगार उपलब्ध कराने के लिये जिले के कार्यों की सूची का चयन अधिनियम की अनुसूची–1 में वर्णित कार्यों की सूची में से किया जाता है।

मनरेगा के अन्तर्गत सम्मिलित कार्य :– महात्मा गॉधी नरेगा अधिनियम के अन्तर्गत कार्य की मांग करने वाले व्यक्ति को न्यूनतम 100 दिनों की कार्य उपलब्ध कराने की गारन्टी तो है ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इसके माध्यम से उन कार्यों को पूर्ण कराया जाय जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अवसंरचना को सशक्त कर सके। अतः इस अधिनियम के अनुसूची–1 के पैरा–4 में निम्न आय वर्ग की आजीविका को मजबूत बनाने वाले कार्यो की सूची उल्लिखित है। अधिनियम के पैरा–20 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन कार्यों पर होने वाले व्यय में मजदूरी और साधनों पर व्यय का अनुपातः 60:40 होगा। अधिनियम के पैरा –22 के प्रावधान के अनुसार किसी भी श्रम को विस्थापित कर मशीन का प्रयोग न करने की बात सुनिश्चित है तथापि उन कार्यों में जहाँ मशीन की अनिवार्यता होगी वहॅा उस सीमा तक सरकार द्वारा अधिसूचित कार्यों में ही इसका प्रयोग सम्भव होगा अन्यथा नहीं।

मनरेगा के अन्तर्गत सम्मिलित कार्य निम्नलिखित है:–

अधिनियम की अनुसूची–1 में प्रमुख कार्यों को 4 भागो में वर्गीकृत किया गया है:–

श्रेणी ए0– प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन से सम्बन्धित सार्वजनिक कार्य।

श्रेणी बी0– सामुदायिक परिसम्पत्तियॉ/व्यक्तिगत परिसम्पत्तियाँ।

श्रेणी सी0–राष्ट्रीय आजीविका मिशन से सम्बद्ध, स्वयं सहायता समूहों सहित उभयनिष्ठ अवसंरचना (Comman infrastucture)।

श्रेणी डी0– ग्रामीण अवसंरचना।

उपर्युक्त आधारों पर अधिनियम में मंत्रालय द्वारा 262 प्रकार के कार्य सम्मिलित किये गये है जिसमें से 182 कार्य प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन, 85 जल से सम्बन्धित कार्य एवं 164 कृषि या उससे जुड़ी गतिविधियों से सम्बन्धित है।

मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों के अन्तर्गत सृजित कुल श्रम दिवसों में कम से कम एक तिहाई रोजगार महिलाओं के लिए सुनिश्चित करने का भी प्राविधान है। स्पष्ट है कि मनरेगा अधिनियम के द्वारा न केवल ग्रामीण भारत के सर्वाधिक कमजोर वर्गो को रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए उनके सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण की संकल्पना निहित है अपितु महिलाओं के सशक्तीकरण को भी सम्मिलित किया गया है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन और उनकी आजीविका में वृद्वि करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना विकास के साथ सूखा बचाव और बाढ़ प्रबंधन को सशक्त करने का प्रावधान भी इस अधिनियम में सम्मिलित है।

साहित्य की समीक्षा –: किसी शोध अध्ययन के लिए शोध से सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन करना आवश्यक होता है इससे शोध को एक दिशा प्राप्त होती है। साहित्य की समीक्षा न केवल महत्वपूर्ण चरों की प्राप्ति में सहायक होती है बल्कि पूर्व में सम्पादित अध्ययनों व प्रमुख बिन्दुओं एवं कमियों को समझने की अन्तः दृष्टि भी प्रदान करती है।

रंगास्वामी और शशि कुमार (2011) के द्वारा महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत हुए कार्यो को राज्यवार तुलनात्मक अध्ययन में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में मनरेगा के तहत 50 प्रतिशत परिवारो को लाभ मिला जिसका सीधा प्रभाव यहाँ के लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति पर पड़ा। छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यो में गरीबी राष्ट्रीय औसत से अधिक है पर मनरेगा के तहत आवंटित राशि का उपयोग सर्वाधिक मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश एवं राजस्थान में किया गया।

सेबस्टियन और अजीज (2014) का निष्कर्ष है कि महात्मा गॉधी नरेगा के कार्यो से व्यापक स्तर परिसम्पत्तियॉ सृजित हुई है। उन्होने यह भी तर्क दिया है कि उन्हे अनिवार्य रुप से जैव–विविधता संरक्षण के बड़े एजेंडे के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। महात्मा गॉधी नरेगा के अन्तर्गत शुरु किये गये हरित कार्यो को वनारोपण, वनप्रांत और उन्हे प्रचालनो तक सीमित करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें प्रत्यक्ष रुप से जैव–विविधता के संरक्षण के लिए एकीकृत किए जाने की आवश्यकता है।

झारखण्ड के एक ग्राम पंचायत में कुओं पर कराये अध्ययन में **अग्रवाल (2014)** द्वारा निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि महात्मा गॉधी नरेगा के अन्तर्गत खोदे गए कुओं से फसल उगाने की क्षमता और फसल की उत्पादकता में वृद्वि हुई जिसके परिणाम स्वरुप व्यक्तिगत लाभार्थियों की खेती की लागत में कमी आयी।

जाटव व सेन (2013) ने दो प्रमुख निष्कर्षो का उल्लेख किया। प्रथम यह कि यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में गैर–कृषि रोजगार प्राथमिक रुप से असंतोष बढ़ाने वाला है तथापि शिक्षा, आयु और स्त्री–पुरुष की दृष्टि से गैर–कृषि क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण बाधाएॅ है। हालांकि उन्होने इस योजना के महत्व पर विशेष ध्यान दिया और पाया कि ग्रामीण श्रम बाजार में बेरोजगारी का संकट इसकी अनुपस्थिति में और गंभीर होगा।

अध्ययन के उद्देश्य –: महात्मा गॉधी नरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं आय के सुअवसर उपलब्ध कराते हुए स्थानीय परिसम्पत्तियों के सृजन में कहॉ तक सफल रही है? यह जानने का प्रयास इस शोध प्रपत्र में किया गया है। अतएव मेरे इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है –

1. महात्मा गॉधी नरेगा का ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?
2. मनरेगा का स्थानीय परिसम्पत्तियों के सृजन पर प्रभाव का अध्ययन।
3. उत्तर प्रदेश में महात्मा गॉधी नरेगा के अन्तर्गत सृजित श्रम दिवसों, मजदूरी भुगतान व लाभान्वित परिवारों की स्थिति का अध्ययन।

शोध प्रविधि –: प्रस्तुत शोध प्रपत्र द्वितीयक ऑकड़ों पर आधारित है जिन्हें भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट, अन्य सम्बन्धित वेबसाइट, पुस्तकों, शोध पत्रों व विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त किया गया है।

महात्मा गॉधी नरेगा का उपलब्धियाँ–: मनरेगा भारत सरकार द्वारा बनाया गया ऐसा कानून है जो अभूतपूर्व दर पर मजदूरी रोजगार की गारन्टी देती है। यू.एन.डी.पी. द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट–2015[1] में महात्मा गॉधी नरेगा अधिनियम को 'मील का पत्थर' बताया गया है और इसे प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने वाली सबसे प्रसिद्व रोजगार गारन्टी योजना माना गया है।

1. UNDP, Human Development Report-2015 New Yark, pp-167

(i) महात्मा गॉधी नरेगा योजना में क्रियान्वयन के पहले वर्ष (2006–07) में 200 जिलों में 2.1 करोड़ परिवारों को रोजगार प्राप्त हुआ तथा 90.5 करोड़ श्रम दिवस रोजगार सृजित हुए। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018–19 में 268 करोड़, श्रम दिवस और 2019–20 में 264 करोड़ श्रम दिवस रोजगार सृजित हुए।

(ii) इस अधिनियम के अन्तर्गत बढ़ी हुई मजदूरी अर्जन ने भारत में ग्रामीण गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को सशक्त बनाया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इसके प्रारम्भ से अब तक कुल व्यय का 70 प्रतिशत से अधिक धनराशि मजदूरी पर व्यय किया गया है।

(iii) मनरेगा के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली औसत मजदूरी दर में भी वृद्वि हुई है। वर्ष 2006–07 में मजदूरी रु0 65 से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 132.7 एवं 2019–20 में रु0 210.86 हो गयी। इसके फलस्वरुप न केवल खेतिहर मजदूरों की सौदेबाजी की शक्ति बढ़ी है अपितु निजी क्षेत्र में भी मजदूरी बढ़ी है। इससे शहरी क्षेत्रों में होने वाले पलायन में भी कमी हुई।

(iv) मनरेगा के क्रियान्वयन के परिणामस्वरुप समाज में हाशिये पर स्थित वर्गो यथा अनुसूचित जाति/जनजाति और महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। वर्ष 2006 से वर्ष 2016 की अवधि में अनु0 जाति/अनु0 जनजाति एवं महिलाओं की हिस्सेदारी क्रमशः 20 प्रतिशत, 17 प्रतिशत और 57 प्रतिशत रही है। वर्ष 2016–17 में यह दर क्रमशः 21.3 प्रतिशत, 17.6 प्रतिशत और 56.2 प्रतिशत थी। अर्थात् महिलाओं की भागीदारी उनके न्यूनतम लक्ष्य (33 प्रतिशत) से बहुत अधिक है।

(v) इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली मजदूरी बैंक व डाकघर खातो के माध्यम से प्रदान किये जाने के कारण लोगो का वित्तीय समावेशन भी बढ़ा है।

महात्मा गॉधी नरेगा योजना के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है –ः

A- राष्ट्रीय स्तर पर –

(i) भौतिक प्रगति : (वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए)

सारिणी–1

क्रमांक	मुख्य संकेतक	स्तर	विशेष
1.	स्वीकृत श्रम बजट (श्रम दिवस)	3,07,25,60,000	
2.	सृजित श्रम दिवस	3,09,05,45,000	कुल श्रम बजट का 103.72
3.	कुल श्रम बजट का (%)	101.68	
4.	कुल व्यक्ति दिवसो में SC व्यक्ति दिवस (%)	19.18	
5.	कुल व्यक्ति दिवसो में ST व्यक्ति दिवस (%)	17.63	
6.	कुल व्यक्ति दिवसो में महिला व्यक्ति दिवस (%)	58.89	
7.	प्रति परिवार औसत रोजगार दिवसों की उपलब्धता	52.09	
8.	प्रति दिवस प्रति व्यक्ति औसत मजदूरी दर (रू0 में)	235.62	
9.	100 दिवस का मजदूरी रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या	45,01,016	
10.	इन परिवारों (HHS) की संख्या जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया।	5,99,78,000	5.99 करोड़ परिवार
11.	कुल व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने कार्य किया।	8,34,48,000	8.34 करोड़ व्यक्ति

(स्त्रोतः State performance Report, 2023-24, GOI, pp-14)

(ii) वित्तीय प्रगति : (वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए)

सारिणी–2

क्रमांक	मुख्य संकेतक	स्थिति / स्तर	विशेष
1.	केन्द्रीय आवंटन	89001.06 करोड़	
2.	कुल उपलब्धता	103108.45 करोड़	
3.	व्यय धनराशि	105299.50 करोड़	उपभोग दर 102
4.	मजदूरी	74126.99 करोड़	
5.	सामग्री और कुशल मजदूरी	27341.73 करोड़	
6.	सामग्री पर व्यय प्रतिशत	26.95	
7.	प्रशासनिक व्यय प्रतिशत	3.64	
8.	प्रति व्यक्ति दैनिक औसत लागत (रु0 में)	346.15	

(स्त्रोतः **State performance Report, 2023-24, GOI, pp-15**)

(iii) योजना विशिष्ट प्रगति (वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए)

सारिणी–3

क्रमांक	मुख्य संकेतक	स्थिति
1.	निर्गत जाब कार्डो की संख्या	14.21 करोड़
2.	सक्रिय जाब कार्डो की संख्या	09.04 करोड़
3.	कर्मचारियों की संख्या	24.81 करोड़
4.	कुल ग्रहण किए गए कार्य	219.96 लाख
5.	संचालित कार्य	135.73 लाख
6.	परिसम्पत्तियो का सृजन	84.23 लाख
7.	कृषि और उनके संबंधित कार्यो पर होने वाला व्यय प्रतिशत	35.66

(स्त्रोतः **https://nrega.nic.in**)

विगत पाँच वित्तीय वर्षों के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के कार्यों में कुल व्यय का श्रेणीवार विवरण निम्न सारिणी से समझा जा सकता है–

सारिणी–4

(व्यय का प्रतिशत)

कार्य का प्रकार	**2023–24**	**2022–23**	**2021–22**	**2020–21**	**2019–20**
प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन के सम्बन्धित कार्य (श्रेणी–ए कार्य)	49.2	46.8	48.0	47.7	45.8
सामुदायिक परिसम्पत्तियाँ या व्यक्तिगत परिसम्पत्तियाँ (श्रेणी–बी कार्य)	22.9	22.3	23.3	22.2	26.2
NRLM अनुपालक स्वयं सहायता, (श्रेणी–सी कार्य) समूहों के लिए सामान्य बुनियादी ढाँचा	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1
ग्रामीण अब संरचना (श्रेणी–डी कार्य)	27.7	30.9	28.6	29.8	28.0
कुल योग–	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

(स्त्रोत: performance Report of State and UTS 2023-24, GOI, pp-19)

उत्तर प्रदेश में महात्मा गॉधी नरेगा की उपलब्धियों को निम्न सारिणी से स्पष्ट किया जा सकता है। सारिणी के अन्तर्गत विगत 5 वर्षो (वित्तीय वर्ष 2020–21 से वित्तीय वर्ष 2024–25) की समयावधि में मनरेगा के प्रभाव को विभिन्न संकेतको से विश्लेषित किया गया है।

सारिणी–5

क्रमांक	संकेतक	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25 *(दिसम्बर 2024 तक)
1	स्वीकृत श्रम बजट (लाख में)	2600	3450	3100	3200	4000
2	केन्द्रीय दायित्व के प्रति व्यक्ति दिवस (लाख में)	2651.97	3542.45	3114.45	3255.44	3930.6
3	श्रम बजट के सापेक्ष (%)	102%	100.08%	100.49%	101.74%	98.26%
4	कुल व्यक्ति दिवसो के सापेक्ष अनु0जाति व्यक्ति दिवस (%)	29.34%	28.84%	31.74%	30.95%	31.18%
5	कुल व्यक्ति दिवसों के सापेक्ष कुल अनु0 जनजाति कार्य दिवस (%)	0.87%	0.87%	0.91%	1.13%	0.99%
6	कुल व्यक्ति दिवसो में महिला व्यक्ति दिवस की स्थिति (%)	41.79%	42.26%	34.87%	37.25%	33.54%
7	प्रति परिवार उपलब्ध औसत रोजगार दिवस	44.78	50.37	44.42	41.95	41.84
8	प्रति व्यक्ति औसत दैनिक मजदूरी दर (रू0)	236.43	229.37	212.81	203.83	200.87
9	कुल वित्तीय उपलब्धता (लाख रू0 में)	1025069.12	1093237.45	1210776.12	874947.8	1332127.83
10	वित्तीय उपभोग की	98.98	104.24	98.55	100.1	96.95
11	मजदूरी पर व्यय (लाख में)	631642.18	792082.27	658533.2	657778.68	786366.47
12	सामग्री पर व्यय	34.54	28.14	42.57	21.49	36.47
13	प्रति व्यक्ति औसत दैनिक लागत	331.13	309.44	315.65	253.4	297.53

(स्त्रोत :– Ministry of Rural Development, GOI)

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में मनरेगा के अन्तर्गत विगत पाँच वर्षों में श्रम बजट के क्रियान्वयन, सृजित रोजगार दिवस व उनमें अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति एवं महिलाओ की भागीदारी में सार्थक उपलब्धि रही है। सारिणी–1 एवं सारिणी–5 से स्पष्ट है कि मनरेगा योजना में महिलाओ की सहभागिता राष्ट्रीय स्तर पर 58.89 प्रतिशत है तो प्रदेश स्तर पर यह दर 37.25% थी। इसी प्रकार अनु0 जाति और अनु0 जनजाति की भागीदारी राष्ट्रीय स्तर पर 19.18% एवं 17.63% थी जबकि उत्तर प्रदेश में प्रतिशतता क्रमशः 30.95 एवं 1.13% है।

भौतिक परिसम्पत्तियों का सृजन :–

महात्मा गॉधी नरेगा के क्रियान्वयन से ग्रामीण भारत में भौतिक परिसम्पत्तियों का सृजन भी व्यापक स्तर पर हुआ हैं। रोजगार सृजन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिये तालाब से लेकर सड़कों के निर्माण में भी इस योजना ने बड़ा योगदान दिया हैं। देश के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रो में इसका सबसे अधिक प्रभाव परिलक्षित हुआ हैं। इस अधिनियम में प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख परिसम्पत्तियाँ सृजित हुई हैं। वर्ष 2020–21 में मनरेगा के अर्न्तगत किये गये कुल कार्यों में 68.3% कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रो में हुआ। इस योजना में जल संरक्षण के 3.28 लाख कार्य पूर्ण हुये। इस अधिनियम के अर्न्तगत 4.24 करोड़ परिसम्पत्तियों को टैग किया गया, जिससे पारदर्शिता बढ़ी हैं। इसके प्राथमिक कार्यो में जल संरक्षण, सूखारोधी उपाय, बाढ़, नियन्त्रण, बारहमासी सड़क, गाँव पंचायत भवन, खेल मैदान एवं स्वच्छता सुविधा आदि सम्मिलित हैं।

आर्थिक समीक्षा– 2018–19 में माना गया कि मनरेगा के तहत सूखाग्रस्त ब्लाकों में जबरदस्त 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं।[2] यह वृद्धि गैर सुखाग्रस्त प्रभावित ब्लाकों में हुई वृद्धि से दुगुनी से अधिक हैं। मनरेगा से लाभकारी परिसम्पत्तियाँ बनाने के लिए मजदूरी और सामग्री अनुपात तय है जिससे एक संतुलन बना रहे तथा आय सृजित करने वाली टिकाऊ परिसम्पत्तियों का निर्माण हो सकें। इस योजना के आरम्भ से जुलाई 2019 तक 535390 करोड़ रूपये से अधिक का व्यय ग्रामीण भारत में हुआ और 2885.81 करोड़ श्रम दिवस सृजित किए गए जो विश्व इतिहास में अनुठा उदाहरण हैं। हाल के वर्षो में मनरेगा के कारण ग्रामीण क्षेत्रो में अब तक करीब 50 लाख हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाया गया हैं। बुनियादी अनुभवों को ग्रहण करने एवं खामियों को समय से दूर करते रहने के साथ मनरेगा में होने वाले सतत् बदलावों के कारण यह योजना बेहद कारगर साबित हुई।

2. आर्थिक समीक्षाः—2018—19, वित्त मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या—192

विगत पाँच वर्षो की समयावधि में मनरेगा योजना में राष्ट्रिय स्तर पर एवं उत्तर प्रदेश में किये गये भौतिक परिसम्पतियों के महत्वपूर्ण कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन निम्न सारणी के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है –

महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत भारत एवं उ0प्र0 में पूर्ण किये गए कार्य वित्तीय वर्ष 2018—19 एवं 2022—23

सारिणी—6

पूर्ण हो चुके कार्य	2018—19		22022—23	
प्राकृतिक संसाधन से सम्बन्धित सार्वजनिक कार्य	भारत	उ0प्र0	भारत	उ0प्र0
1—जल संरक्षण	232416	17175	532779	86078
2—जल विभाजन	93744	10389	158603	19336
3— सिंचाई	163515	34513	484660	163500
4—पारंपरिक जल निकाय	135480	9172	261561	40570
5—वनीकरण	277644	15907	239215	29100
6—भूमि विकास	250619	57666	246792	11302
कुल	1153418	144822	1923610	451686

(स्त्रोत – www.nrga.org.in ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार)

भौतिक परिसम्पत्तियों के निर्माण का यदि वर्षवार अध्ययन करें तो स्पष्ट होता है कि वर्ष 2018—19 में 2.32 लाख हेक्टेयर जल संरक्षण के कार्य हुए तथा सम्पूर्ण भारत में किए गए कुल जल संरक्षण के कार्य का 7.38% है। वित वर्ष 2022—23 में भारत में 5.32 लाख हेक्टेयर जल के काम हुए जो वित वर्ष 2018—19 के तुलना में लगभग 3 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। उ0प्र0 वित्त वर्ष 2022—23 में 86 हजार जल संरक्षण का काम किया गया जो सम्पूर्ण भारत के 2022—23 में हुए जल संरक्षण के कार्यों का 16.16% है।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018—19 में 17.17 हजार हेक्टेयर जल संरक्षण का काम हुआ तथा वर्ष 2022—23 में उ0प्र0 में जल संरक्षण के लिए 86.07 हजार हे0 जल संरक्षण का काम हुआ जो 2018.19 के तुलना में 68.9 हजार हेक्टेयर तथा प्रतिशत के रुप में लगभग 40 प्रतिशत वृद्धि हुई जो अच्छे स्थिति का संकेतक हैं।

वर्ष 2018 में जल विभाजन प्रबंध में 9.38 लाख हेक्टेयर कार्य पूर्ण किया गया जबकि इसी वर्ष उ0प्र0 में 10.4 हजार हेक्टेयर कार्य हुआ। अर्थात सम्पूर्ण भारत में हुए जल विभाजन प्रबंधन के कार्यो में उ0प्र0 का 11.09 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। वर्ष 2022—23 की बात करें तो सम्पूर्ण भारत में जल – विभाजन प्रबंधन में 9.38 लाख हेक्टेयर है जो पिछले वर्ष 2018—19 के तुलना में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं तथा उ0प्र0 वर्ष 2022—23 में 19.33 हजार हेक्टेयर जल विभाजन प्रबंधन किया गया जो सम्पूर्ण भारत के तुलना में उ0प्र0 राज्य की 12.20 प्रतिशत हिस्सेदारी हैं। वर्ष 2018—19 की तुलना में वर्ष 2022—23 में जल विभाजन प्रबंधन में कूल 86.12 प्रतिशत वृद्धि हुई हैं।

इसी प्रकार वर्ष 2018–19 में भारत में 1.63 लाख हेक्टेयर सिचाई का काम हुआ तथा उ0प्र0 में इसी वर्ष 3.45 हजार हेक्टेयर का काम हुआ जो भारत के सभी राज्यों के तुलना में 21.21 प्रतिशत की हिस्सेदारी हैं। वर्ष 2022–23 में सम्पूर्ण भारत में सिचाई क्षेत्र में 4.85 लाख हेक्टेयर काम हुआ तथा उ0प्र0 राज्य में सिचाई क्षेत्र में 1.64 लाख हेक्टेयर काम किया गया। जो 2018–19 के तुलना में भारत एवं उ0प्र0 में क्रमशः 19.5 प्रतिशत तथा 37.4 प्रतिशत लगभग की वृद्धि हुई हैं। इन ऑकड़ों से अनुमान प्राप्त होता है कि कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत सिचाई क्षेत्र में महात्मा गॉधी नरेगा द्वारा अभूतपूर्व कार्य हो रहा हैं।

प्राकृतिक संसाधन से सम्बन्धित कार्य जैसे पांरपरिक जल निकास, वनीकरण तथा भूमि विकास इत्यादि कार्यो द्वारा भी महात्मा गॉधी नरेगा के माध्यम से भौतिक परिसम्पत्तियों का निर्माण होता हैं। पांरपरिक जल निकाय से तात्पर्य छोटे तालाबों एवं कुण्डों से है जिसमें बरसात का पानी एकत्रित किया जाता हैं। इस प्रकार जल का संचय होता हैं। भारत में जल निकाय के अन्तर्गत 2018–19 तथा 2022–23 में क्रमशः 1. 35 लाख हेक्टेयर तथा 2.62 लाख हेक्टेयर का काम किया गया जो कि 2018–19 के तुलना में 93.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तथा उ0प्र0 में 2018–19 के तुलना में 2022–23 में 342.33 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलता हैं।

पर्यावरण को अनुकूल बनाने के लिए एवं बंजर व अनउपजाऊ भूमि को हरा–भरा करने के लिए भारत में 2018–19 में 2.77 लाख हेक्टेयर लगभग वनीकरण का काम किया गया तथा 2022–23 में 2.39 लाख हेक्टेयर भाग पर वनीकरण का काम किया गया।

भारत में प्राकृतिक संसाधन से सम्बन्धित सार्वजनिक कार्य के अन्तर्गत भौतिक परिसम्पत्तियों के निर्माण में 2018–19 में कुल 11.54 लाख हेक्टेयर कार्य पूर्ण हुए जबकि उ0प्र0 में इसी अवधि में कुल 1.44 लाख हेक्टेयर कार्य किये गये जों सम्पूर्ण देश भारत की तुलना में 12.56 प्रतिशत हिस्सेदारी हैं। वर्ष 2018–19 में भारत में कुल 19.23 लाख हेक्टेयर कार्य पूर्ण हुआ गया तथा उ0प्र0 में कुल 4.51 लाख हेक्टेयर कार्य किया गया हैं।

स्पष्ट है कि महात्मा गॉधी नरेगा के अर्न्तगत सिंचाई सुविधाओं में विस्तार, भूमि उत्पादकता में वृद्धि, गॉवों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने आदि जैसे परिसम्पत्तियों के निर्माण के द्वारा ग्रामीण समुदायों को लाभन्वित किया जा रहा हैं। ग्रामीण विकास से सम्बन्धित अनेक प्रतिवेदनों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि महात्मा गॉधी नरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रो में सतत और टिकाऊ परिसम्पत्तियों के सृजन में आवश्यकतानुरूप गति से कार्य पूर्ण नही हो पा रहे हैं। बड़ी संख्या में कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् भी एक निशचित अवधि में पूर्ण नही हो पा रहे हैं।

निष्कर्ष :–

महात्मा गॉधी नरेगा को लागू हुये 18 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, और सम्पूर्ण देश में क्रियान्वित होने (वर्ष 2008) के 16 वर्ष पूर्ण हुये हैं। उपलब्ध ऑकड़ो के विश्लेषण से स्पष्ट है कि महात्मा गॉधी रोजगार गारन्टी अधिनियम से ग्रामीण परिवारो को रोजगार के माध्यम से आय प्राप्त हुआ है जिसके फलस्वरूप उनकी क्रमशक्ति बढ़ी हैं। इस योजना से प्राप्त अतिरिक्त आय से ग्रामीणजनों की आजीविका भी सुरक्षित हुई हैं। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह हैं कि इसके द्वारा ग्रामीण क्षेंत्रों में मानव श्रम के माध्यम से सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन भी हुआ हैं। परिसम्पत्तियों के निर्माण में सबसे अधिक कार्य जल, संरक्षण , जल संचयन व सम्पर्क मार्ग पर जोर दिया जा रहा हैं। हाल के वर्षो में व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों के निमार्ण पर भी जोर दिया जा रहा है जिसमें सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण प्राथमिकता में है। वाटरशेड विकास जैसे प्राकृतिक संसाधनों के प्रंबधन पर भी जोर दिया जा रहा हैं जिसके अर्न्तगत बाढ़ से बचाव, बाद नियंत्रण और परम्परागत जलाशयों का पुनरोद्वार सम्मिलित हैं। यद्यपि महात्मा

गॉधी नरेगा योजना में बड़ी मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया हैं तथापि इस योजना में अधूरे कार्यो को समय से पूर्ण करा पाना चिंता का भी विषय हैं। कार्यो की गुणवत्ता सुधारने हेतु मनरेगा कर्मियों तथा सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के कौशल को उन्नत करने हेतु कुछ कार्यक्रम व माड्यूल भी बनाये गये हैं। मनरेगा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु परिसम्पत्तियों के जियोटैगिंग की भी व्यवस्था प्रारम्भ है, स्पष्ट है कि इस योजना में भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत साधन की संभाव्यता विद्यमान है। अतः संरकार को इस योजना में पारदर्शिता बढ़ाते हुए इसके सशक्तीकरण और विविधीकरण पर जोर देना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में जब भी संकुचन (वर्ष 2017–18) या त्रासदी (कोविड काल 2020–22) की स्थिति उत्पन्न हुई तो मनरेगा एक उपयोगी उपकरण सिद्ध हुआ। मनरेगा की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु इसके वित्तपोषण में राज्यों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं।

सन्दर्भ सूची

1. सेन, अमर्त्य और डेज, ज्यां (2019) भारत और विरोधाभास, राजकमल प्रकाशन प्रा.लि.नई दिल्ली पेज नं0 205–207।
2. जालान, विमल भारत की नीति 21 वीं सदी की ओर, राजकमल प्रकाशन, प्रा0लि0 नई दिल्ली।
3. मनरेगा समीक्षा–II, 2012–14 ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
4. Puri, V.K, Mishra, S.K and Garg, Bharat (2022)-“Indian Economy” Himalya Publish House, New Delhi.
5. Datta, Gaurav and Mahajan, Ashwani, (2022) “Indian Economy” S. Chand and Company Limited, New Delhi
6. कुमार, मुकेश एवं परिहार, विजय सिंह (2022)–'' महात्मा गॉधी नरेगा का रोजगार तथा ग्रामीण विकास पर प्रभाव का एक अध्ययन, जर्नल ऑफ इमरजिंग टेक्नोलाजी एण्ड इनोवेटिव रिसर्च (JETIR) June, 2022, Val.9 Issue 6.
7. UNDP, Human Development Report, 2015 (New Yark, 2015)
8. अग्रवाल, अंकित, गुप्त, आशीष एवं कुमार, अंकित (2014) –'' झारखण्ड में नरेगा कुँओ का मूल्यांकन, '' एन आई आर0डी0 हैदराबाद।
9. Performance Report of States an Uts, 2023-24. Ministry of Rural Development, GOI, New Delhi.